न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 802/2024
अनवान : –

1. रणजीत पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. किरसना पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. मेसर पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. ओम प्रकाश पुत्र सावत्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. बृजलाल पुत्र सावत्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. सावत्री पत्नी शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. विद्या पत्नी शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. सुरेश पुत्र शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
11. सुमित्रा पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
12. पवन कुमार पुत्र शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. मेघराज पुत्र शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
14. राजबाला पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
15. अनिल कुमार पुत्र मन्जू पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
16. मदनलाल पुत्र मन्जू पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 8/8 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0810 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के भाई मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल के नाम दर्ज है तथा 1/70 हिस्सा भूमि मृतका मन्जू पुत्री शीशपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20/21 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.2320 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल, मृतका तखी पत्नी मनफूल व मृतक शीशपाल पुत्र मनफूल प्रत्येक के 1/108 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के भाई अमरसिंह [illegible] स्वर्गवास हो चुका है अमरसिंह के स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण वारिस हुए जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 जो कि वादी की मृतक बहिन सावत्री के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 8/8 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0810 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/28 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 5/28 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/28 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 15, 16 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतका मंजू पुत्री शीशपाल के नाम दर्ज 1/70 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 15, 16 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20/21 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.2320 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल व मृतका तखी पत्नी मनफुल के नाम दर्ज भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/28 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 5/28 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/28 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 ब0 हि0 ब0 काबिज है मृतक शिशपाल पुत्र मनफुल के नाम दर्ज 1/108 हिस्सा भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 5/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 16 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र शिशपाल, मृत्युप्रमाण पत्र अमरसिंह, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता तखी व वादी के भाई शिशपाल व अमरसिंह के नाम दर्ज है। वादी की माता तखी व वादी के भाई शिशपाल व अमरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है वादी का भाई अमरसिंह लावल्द फौत हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी की माता तखी व वादी के भाई शिशपाल व अमरसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 8/8 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0810 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के भाई मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल के नाम दर्ज है तथा 1/70 हिस्सा भूमि मृतका मन्जू पुत्री शीशपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20/21 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.2320 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल, मृतका तखी पत्नी मनफूल व मृतक शीशपाल पुत्र मनफूल प्रत्येक के 1/108 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता तखी व वादी के भाई शिशपाल व अमरसिंह के नाम दर्ज है। वादी की माता तखी व वादी के भाई शिशपाल व अमरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है वादी का भाई अमरसिंह लावल्द फौत हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी की माता तखी व वादी के भाई शिशपाल व अमरसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक तखुदेवी, मृतक शिशपाल व मृतक अमरसिंह के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 8/8 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0810 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 5/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15, 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतका मंजू पुत्री शीशपाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 15, 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20/21 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.2320 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल व मृतका तखी पत्नी मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 5/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक शिशपाल पुत्र मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 5/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 802/2024

अनवान : –

1. रणजीत पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जगदीश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. किरसना पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. मेसर पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. ओम प्रकाश पुत्र सावत्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. बृजलाल पुत्र सावत्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. सावत्री पत्नी शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. विद्या पत्नी शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. सुरेश पुत्र शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
11. सुमित्रा पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
12. पवन कुमार पुत्र शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. मेघराज पुत्र शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
14. राजबाला पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
15. अनिल कुमार पुत्र मन्जू पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
16. मदनलाल पुत्र मन्जू पुत्री शीशपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 802 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्[illegible] 207[illegible] 2074 के खाता संख्या 8/8 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0810 [illegible] पुत्र मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी सं[illegible]या 1, 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 5/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15, 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतका मंजू पुत्री शीशपाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 15, 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 20/21 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.2320 है0 भूमि में से मृतक अमरसिंह पुत्र मनफुल व मृतका तखी पत्नी मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया ज़ाता है तथा 5/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/28 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक शिशपाल पुत्र मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 5/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested